फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

मनोहर बनाम हेमाराम

केस संख्या : 26/27 TR

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/3/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] एवं [illegible] एसो. [illegible] से [illegible] अनुसार दिनांक 3/5/25 को पेश हो।	
	3/5/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली [illegible] आदेश 26/3/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
	16/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी व अप्रार्थी 8,10 उप०। अप्रार्थी। ता 7 अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी 8,10 ने जवाबदावा देकर सीधे बहस की। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है अतः प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमा होकर [illegible] हो।	

सहायक कलक्टर

आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary

Date: 2025.05.07 16:43:30 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.**

प्रार्थना पत्र संख्या– 26/2024

मनोहरलाल पुत्र तेजाराम निवासी नाली वाली ढाणी श्याम कालोनी के पास, ग्राम सिरसी जयपुर

बनाम

1. तेजाराम पुत्र नाथू उर्फ नाथ्या
2. भगवान सहाय पुत्र तेजाराम
3. रमेश पुत्र तेजाराम
4. बोदूराम पुत्र तेजाराम
   निवासीयान नाली वाली ढाणी शम कालोनी के पास, ग्र म सिरसी, तहसील जयपुर
5. सायर देवी पुत्री तेजाराम पत्नी रामप्रताप निवासी इन्दोकिया तन भम्भौरी, तहसील कालवाड जिला जयपुर
6. मीरा देवी पुत्री तेजाराम पत्नी लालाराम निवासी बस्सी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर
7. गिरधारी लाल पुत्र भगवान सहाय
8. जगदीश पुत्र भगवान सहाय
9. प्रभुदयाल पुत्र भगवान सहाय
10. मुकेश पुत्र भगवान सहाय
    समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम पुनाना, तहसील जालसू जयपुर
11. सरकार जरिये तहसीलदार जालसू जयपुर

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>

निर्णय दिनांक 16.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत – 6 की पैतृक कृषि आराजीयात भूमि आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 2.13 हैक्टयर वाके ग्राम पुनाना पटंवार हल्का पुनाना भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर (राज0) मे स्थित है जिसमे अप्रार्थी सं0 1 [illegible] नाम [illegible] हिस्सा 50/71 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बराबर बराबर रूप से 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से की भूमि [illegible]ज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है । अप्रार्थी सं0–1 से प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 –2 लगायत –6 विधिक उत्तराधिकारी है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0–1 लगायत 6 की पुश्तेनी कृषि आराजीयात वाके ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे से खसरा नम्बर 29 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को प्रार्थी के पिता ने वर्ष 2000 से पूर्व ही विक्रय कर दिया था। तत्पश्चात वादी के पिता अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:30 IST
Reason: Self Attested

ने मिलकर पुश्तेनी कृषि आराजीयात वाके ग्राम सिरसी के खसरा नम्बर 7 मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्ष 2011 मे बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा विकय करदी जिसपर बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा मौके पर श्याम नगर कालोनी मौकेपर बसायी गयी है तथा उक्त सोसायटी के सदस्य पटटाधारी काबिज होकर मकानात निर्माण कर निवास करते चले आ रहे है। उक्त पुश्तेनी आराजीयात के. विक्रय से प्राप्त राशि एवं संयुक्त परिवार की अर्जित आय से अप्रार्थी सं0–1 के नाम से संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान होने के नाते वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम पुनाना मे खरीद की जिसपर वादी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बराबर बराबर रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है । अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 दुरभिसंधि करके तथा बेईमानीपूर्ण आशय से प्रार्थी की ग्राम सिरसी तहसील जिला जयपुर मे स्थित पुश्तेनी आराजीयात खसरा नम्बर 76, 77, 79 मे से वर्ष 2023 मे करीब 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पुनः विक्रय करदी । उक्त विक्रय की गयी प्रतिफल राशि भी अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 ने ही रखली उक्त विक्रय की प्रतिफल राशि मे से वादी को उसके हिस्से की राशि मे से एक रूपया भी नही दिया तो प्रार्थी ने अपने हिस्से की राशि की मांग की तो अप्रार्थीगण ने कहा कि वाके ग्राम पुनाना मे भी वादग्रस्त आराजीयात जो ग्राम सिरसी की पुश्तेनी भूमि के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप क्रय की गयी है उक्त भूमि मे भी प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि अपने नाम करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण सं0–1 लगायत 3 भडक गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि आपकी कोई जमीन भूमि नाम नही करायेगे। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 ने साज पूर्वक एवं बेईमानी पूर्वक तरीके से पुश्तेनी कृषि भूमि को उपरोक्त प्रकार से खुर्द बर्द करते आ रहे है दिनांक 10–03–2024 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत –3 व अप्रार्थी सं0–2 व 3 के पुत्रो ने मिलकर दिन मे करीब 12.30 बजे प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रो के साथ लडाई झगडा करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी व उसके पुत्रो के साथ मारपीट की तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने की धमकी दी कि वाके ग्राम पुनाना व ग्राम भैसावा मे स्थित कृषि आराजीयात को भी हम विक्रय करके रहेगे। चूकि उक्त आराजीयात भी रिकार्ड मे अप्रर्थी सं0–1 के नाम से खरीदी हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0–1 लगायत –3 ने संयुक्त परिवार एवं पुश्तेनी आराजीयात के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल राशि से क्रय की गयी भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते है जिसके बाबत दिनांक 12–04–2024 को पुश्तेनी आराजीयात वाके ग्राम सिरसी के सबंध मे राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (राज0) द्वारा बैचान के सबंध मे अंतरिम निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश पारित कर बेचान करने के लिये पाबंद कर दिया जिसके कोर्ट से नोटिस जाने पर अप्रार्थीगण भडक गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वाके ग्राम सिरसी की भूमि को तो पुश्तेनी साबित कर [illegible] ग्राम पुनाना व भैसावा मे जो भूमियाँ है वो अप्रार्थी सं0–1 के नाम से है [illegible]

[illegible] वादग्रस्त [illegible] प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात का कानूनी रूप से अपने हिस्से की भूमि को सुरक्षित रखने एवं उपयोग व उपभोग करने के लिये हक अधिकारी है अप्रार्थीगण सं0– 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 12–04–2024 को प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात को ओने पाने दामो मे विक्रय करने एवं खुर्द बुर्द करने की धमकी देने तथा दिखावटी बेनामी संव्यवहार के माध्यम से खुर्द बुर्द करना चाहते है व भूमाफियाओ को विकय करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

की धमकी देने के कारण हक की घोषणा करवाने के लिये श्रीमान के समक्ष घोषणा का दावा लाना आवश्यक हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया साबित हो की अप्रार्थीगण आराजी को बेचान अथवा निर्माण कार्य कर रहे हो अर्थात् प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर